सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

2 भाद्र, 1940 (श०)

संख्या- 826 राँची, शुक्रवार 24 अगस्त, 2018 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

8 अगस्त, 2018

संख्या-06/उप.फो.(संरक्षण परिषद् चयन)06/2015खा.आ.-2653,-- विभागीय संकल्प संख्याः- 2954, दिनांक 4 जून, 2015 के आलोक में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा- 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा राज्य सरकार **सरायकेला-खरसावाँ जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद्** का निम्नवत् गठन करती है:-

(1) (क) उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ - अध्यक्ष।

(ख) जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ - सदस्य सचिव।

(ग) (i) सिविल सर्जन, सरायकेला-खरसावाँ - सदस्य।

(ii) उप विकास आयुक्त, सरायकेला-खरसावाँ - सदस्य।

(iii) जिला शिक्षा पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ - सदस्य।

(iv) जिला कृषि पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ - सदस्य।

(v) जिला परिवहन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ - सदस्य।

(घ) गैर सरकारी सदस्य

(i)श्री सुबीर कुमार ग्राम+पोस्ट+थाना-तिरूलडीह, प्रखण्ड-कुकरू, जिला-सरायकेला-खरसावाँ ।

(ii)श्री मनोरंजन बेज जगन्नाथ मंदिर के समीप, बड़ा गम्हरिया, माझ पाड़ा, जिला सरायकेला-खरसावाँ ।
(iii)श्री लक्ष्मण प्रसाद राय186/2/4 रोड नम्बर-8, आदित्यपुर-2, जिला-सरायकेला-खरसावाँ ।
(iv)श्री रामनाथ हलदारगागोंडीह कॉलोनी, रूपा, चांडिल, सरायकेला-खरसावाँ ।

(2) जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् से संबंधित शर्तें एवं नियम:-

(क) परिषद् का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 3 (तीन) वर्षों का होगा । तीन वर्षों के उपरांत परिषद् का पुनर्गठन किया जायेगा । किसी भी सदस्य का स्थान रिक्त रहने पर परिषद के कार्य या निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा ।

(ख) क्रमांक (1) के (घ) के सदस्यों को सरकार के द्वारा निम्न प्रकार के आरोप साबित पाये जाने पर हटाया भी जा सकता हैः-
(i) राजनीतिक सम्बद्धता होने पर ।
(ii) आपराधिक गतिविधि में आरोप पत्र दाखिल होने या दोष-सिद्ध होने पर ।
(iii) अनुत्तरदायी और उपभोक्ता विमुख व्यवहार होने पर ।
(iv) गैरकानूनी गतिविधि में शामिल होने पर ।
(v) चिकित्सीय अक्षम होने पर ।
(vi) उपभोक्ता कानून एवं मुद्दो की कम जानकारी होने पर ।
(vii) परिषद् की दो लगातार बैठको में अनुपस्थित होने पर ।

(ग) परिषद् के पदेन सदस्य उस समय तक सदस्य बने रहेगें जब तक कि वे अपने उक्त पद पर है, जिसके कारण वे परिषद् के सदस्य मनोनीत किये गये है ।

(घ) सदस्यों का कार्यकाल मात्र 3 वर्ष का होगा। 3 वर्ष के बाद पुनः चयन किया जा सकता है, परन्तु चयन प्रक्रिया में फिर से शामिल होना पडेगा । कोई भी गैर-सरकारी सदस्य दो बार से अधिक चयनित नहीं हो सकता है ।

(ड़) परिषद् के सदस्य के रूप में पदेन सरकारी पदाधिकारी को छोड़कर अन्य संस्थान के लोग अपनी इच्छा से त्याग पत्र दे सकेंगे ।

(च) प्रत्येक तीन माह (त्रैमासिक) में कम से कम 1 बार परिषद् की बैठक अवश्य होनी चाहिए। अध्यक्ष/सचिव चाहें तो कभी भी आपातकालीन बैठक बुला सकते है ।

(छ) प्रत्येक बैठक से 15 दिन पूर्व सभी संबंधितों एवं सदस्यों को सूचना दी जायेगी, जिसका अध्यक्ष की अनुमति से सदस्य सचिव द्वारा अनुपालन कराया जायेगा ।

(ज) बैठक का एजेन्डा अध्यक्ष की अनुमति से सदस्य सचिव तैयार कर बैठक के समय पटल पर रखेंगे ।

(झ) बैठक में कम से कम 10 प्रतिशत सदस्यों का होना गणपूर्ति (कोरम) के लिए आवश्यक होगा ।

(3) जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का कार्यकलाप:-

(क) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में निहित प्रावधानों के आलोक में परिषद् कार्य करेंगी। परिषद् का कार्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा एवं बढ़ावा देना होगा । यथा:-

(i) सामान एवं सेवाओं के वैसे विपणन जो जीवन और सम्पति के लिए खतरनाक है, के खिलाफ उपभोक्ताओं की रक्षा का अधिकार ।

(ii) वस्तुओं व सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, शुद्धता, मानक और मूल्य के संबंध में अनुचित व्यापार व्यवहार के खिलाफ उपभोक्ता की रक्षा का अधिकार की सूचना।

(iii) जहाँ तक संभव हो, प्रतिस्पर्धी कीमतों पर माल एवं सेवाओं के प्रकार की जानकारी का अधिकार ।

(iv) उपभोक्ता की हितों की उचित फोरमों में सुनवाई का अधिकार ।

(v) अनुचित व्यापार व्यवहार या अवरोधक व्यापारिक व्यवहार या उपभोक्ताओं के अनैतिक शोषण के खिलाफ निवारण का अधिकार ।

(vi) उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार ।

(ख) राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् जिला उपभोक्ता संरक्षण के माध्यम से जनता की सहभागिता कर उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन को स्थापित करने के लिए कदम उठायेगा ।

(ग) जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् द्वारा प्रत्येक वर्ष 24 दिसम्बर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस एवं 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस को समारोहपूर्वक मनाया जायेगा ।

(4) परिषद् के सदस्य के रूप में पदेन सरकारी कर्मचारियों को उसी दर पर यात्रा-भत्ता एवं दैनिक भत्ता अनुमान्य होगा, जो उन्हें पदस्थापित पदों पर अनुमान्य है तथा वे इसे अपने वेतनादि प्राप्त होने वाले शीर्ष से निकासी करेंगें ।

(5) परिषद् के सदस्य के रूप में गैर सरकारी सदस्य उसी यात्रा-भत्ता के हकदार होगें जो राज्य सरकार के श्रेणी-1 के पदाधिकारी को अनुमान्य है तथा प्रति बैठक 500/- (पाँच सौ) रूपये, दैनिक भत्ता के रूप उन्हें देय होगा। इनका भुगतान 3456-सिविल पूर्ति-उप शीर्ष-02 से होगा ।

(6) राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के सदस्य अपने संबंधित जिलों के परिषद् के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे ।

(7) सरकार के पास परिषद् भंग करने या नियमों में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

थॉमस डुंगडुंग,
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 826 -- 50